

7659/11

NAME-ANIL KUMAR SRIVASTAVA
DESIG- EXECUTIVE
EMP. CODE- 3331
STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA LTD.
SHOP NO. 15,17,18, 3rd FLOOR THE MALL
CROSS ROAD, BANK ROAD, GORAKHPUR




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP021918684490790
Certificate Issued Date	: 15-Jul-2016 02:41 PM
Account Reference	: SHCIL (FY upshc:101/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPLPSHC.L01025156390708100
Purchased by	: PURANVASI VIDHYA CHARAN CHAUDHARY SO V C CHAUDHARY
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: MRZAPUR HATA BETIA GOPAKHPUR RAKSA 11608 SQFT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SUSHILA DEVI PANDEY W/O SHRI KRISHNA PANDEY
Second Party	: PURANVASI VIDHYA CHARAN CHAUDHARY SO V C CHAUDHARY
Stamp Duty Paid By	: PURANVASI VIDHYA CHARAN CHAUDHARY SO V C CHAUDHARY
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 25,27,000 (Twenty Five Lakh Twenty Seven Thousand only)



Please write or type below this line

सुशिला देवी पाले

V. Chaudhary

2527000



Verified By: [Signature]
Locked By: [Signature]
A 5250-SEC-CM-CLP



0001133439

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 211725

बिल्डर एग्रीमेन्ट

सरकारी मालियत - 3,61,08,000/- रु०
क्षेत्रफल - 1097.40 वर्ग मीटर
दर - 36000/- रु० प्रति वर्ग मीटर
खेसरा नं० - 17
पौजा - मिर्जापुर हाता बेतिया, गोरखपुर
स्टाम्प - 2527420/- रु०

विक्रेता मो- 923602469
क्रेता मो- 9820980200



श्रीमती सुशीला देवी पाण्डेय पत्नी स्व० श्रीकृष्ण पाण्डेय पुत्री श्री विशुन
पाण्डेय निवासिनी बेतियाहाता, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर

सुशीला देवी पाण्डेय

-प्रथम पक्ष



[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 211718

पूर्णवासी विद्याचरन चौधरी पुत्र श्री विद्याचरन चौधरी, निवासी-गणेश कृपा घाल पाण्डेय कम्पाउण्ड, ठाकुर विलेज, मुम्बई।

—द्वितीय पक्ष

ज्ञात हो कि प्रथम पक्ष निम्न विवरण की भूमि स्थित राजस्व ग्राम मिर्जापुर बेतियाहाता परगना-हवेली तहसील-सदर व जिला व शहर-गोरखपुर की एक मात्र स्वामिनी हैं, जो प्रत्येक प्रकार के स्वामित्व दोष, हस्तान्तरण दोष तथा प्रत्येक प्रकार के भार व विवादों से पूर्णतया मुक्त है अगर ऐसा कुछ है तो उसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी (भू-स्वामिनी की होगी) जिसका शौघातिशीघ्र समाधान करना होगा तथा प्रथम पक्ष व अपने स्वामित्व व कब्जा के निम्न विवरण की भूमि प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरण करने व उसके सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था करने व उस पर इच्छित व अनुमन्य निर्माण करने व कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। निम्न विवरण की भूमि का भूप्रयोग मिश्रित है।

प्रथम पक्ष की इच्छा अपने निम्न विवरण की भूमि का व्यवसायिक प्रयोग व अपने निजी आवास हेतु आवासीय मकान के निर्माण करवाने की रही, परन्तु इस सम्बन्ध में अनुभव के अभाव में व निर्माण कार्य में लगने वाले धन की अनुपलब्धता

संज्ञित देवी कन्देय

← M.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 211719

के कारण निर्माण नहीं करवा सकी। इसलिए प्रथम पक्ष ऐसे अनुभवी व्यक्ति की तलाश में रही जो उचित शर्तों व प्रतिफल के एवज में अपने धन से निर्माण करा सके ज्ञात हो कि द्वितीय पक्ष विल्डिंग निर्माण के कार्यों के अनुभवी व्यक्ति है और अपने धन को लगाकर विल्डिंग निर्माण का कार्य तयशुदा शर्तों के आधार पर करने का कार्य व कारोबार करते हैं।

ज्ञात हो कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके अपनी इच्छा निम्न विवरण की भूमि पर बेसमेन्ट पार्किंग, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर व्यासायिक दूकानों एवं सेकेण्ड फ्लोर पर निजी रेहाइशी मकान के निर्माण हेतु द्वितीय पक्षों को आमंत्रित किया।

ज्ञात हों कि द्वितीय पक्ष निम्न विवरण की भूमि का स्थलीय निरीक्षण करके एवं स्वामित्व वगैरह से सम्बन्धित कागजों का निरीक्षण एवं सत्यापन करने व संतुष्ट होने पर प्रथम पक्ष के आमंत्रण पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके एक प्रस्ताव दिया कि द्वितीय पक्ष विकास प्राधिकरण से प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र स्वीकृत करवाकर एवं सभी वांछित अनुमति एवं अनापत्ति इत्यादि अपने स्वयं के धन से करवाकर बेसमेन्ट पार्किंग, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर, फर्स्ट

सुनील प्रो. देवी वाडेज

F. M. Choudhary



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 211720

प्लोर पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण एवं सेकेण्ड प्लोर पर प्रथम पक्ष के निजी आवास के लिए आवासीय फ्लैट का निर्माण सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त अपने स्वयं के धन से करवायेंगे और अपने द्वारा लगाये गये धन के प्रतिफल में लोअर ग्राउण्ड, ग्राउण्ड प्लोर, फर्स्ट प्लोर पर कराये गये सम्पूर्ण व्यावसायिक निर्माण के 40 प्रतिशत (चालीस प्रतिशत) के स्वामी द्वितीय पक्ष हो जावेंगे तथा द्वितीय मंजिल पर निर्माण कराये सम्पूर्ण आवासीय मकान दो लोवर ग्राउण्ड प्लोर, ग्राउण्ड प्लोर, फर्स्ट प्लोर के निर्मित व्यावसायिक बिल्डिंग के 60 (साठ प्रतिशत) बिल्डिंग के मालिक प्रथम पक्ष कायम रहेंगे।

ज्ञात हो कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रथम पक्ष ने गंभीरता से विचार किया और अपने शुभ चिंतकों से विचार विमर्श किया और प्रस्तुत प्रस्ताव को उचित पाकर स्वीकार कर लिया।

ज्ञात हो कि पक्षकारों के बीच इस सम्बन्ध में आपसी सहमति निम्नलिखित शर्तें तय हुईं। भवन में निर्मित क्षेत्र कामर्शियल का 40 प्रतिशत द्वितीय पक्ष का अंश होगा तथा 60 प्रतिशत प्रथम पक्ष का अंश होगा। जिसमें प्रथम पक्ष का निवेदन है कि उनको द्वितीय तल का आवासीय सम्पूर्ण भाग उनको दे दिया जाय उसके एवज

सुशान्ता देवी पान्डे

K. M. Chavhan



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365229

- में अपने 40 प्रतिशत आनुपातिक हिस्से का अन्य फ्लोर पर द्वितीय पक्ष ले लेंगे।
1. यह कि द्वितीय पक्ष निम्न विवरण की भूमि पर बेसमेन्ट पार्किंग, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर व्यवसायिक प्रयोग की दूकान/आफिस का तथा सेकेंड फ्लोर पर प्रथम पक्ष के आवासीय प्रयोग के लिए आवासीय मकान का निर्माण करवाने हेतु आवश्यक मानचित्र भवन नियमों के अनुसार प्रथम पक्ष के नाम से तैयार करवाकर अपने स्वयं के धन से विकास प्राधिकरण गोरखपुर से स्वीकृत करावेंगे तथा निर्माण करवाने से सम्बन्धित जिस किसी भी अन्य विभाग अथवा अधिकारी से किन्हीं अन्य इजाजत व अनापत्ति की आवश्यकता होगी को भी अपने स्वयं के धन से प्राप्त करेंगे। इस सम्बन्ध में आर्थिक सहयोग को छोड़कर अन्य किसी भी सहयोग प्रथम पक्ष की आवश्यकता होगी को प्रथम पक्ष बिना किसी विलम्ब के प्रदान करेगी।
 2. यह कि मानचित्र की स्वीकृति की तिथि तथा अन्य मानचित्र अनुमति एवं अनापत्ति की तारीख में जो वाद की तिथि होगी से अन्दर 24 (चौबीस) माह के द्वितीय पक्ष द्वारा बेसमेन्ट, पार्किंग, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर,

गोरखपुर

V. M. Chowdhary



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365230

फर्स्ट फ्लोर पर व्यावसायिक प्रयोग की दूकानें/आफिस तथा सेकेण्ड फ्लोर पर प्रथम पक्ष के निजी आवासीय प्रयोग के लिए आवासीय मकान का सम्पूर्ण निर्माण कार्य फ्लोरिंग प्लास्टरिंग, रंगाई, पोताई, बिजली वायरिंग, लिफ्ट, स्केलेटर सीढ़ी इत्यादि के साथ अपने धन से पूरा करा देंगे।

3. यह कि यदि दैविक कारणों से अथवा किन्हीं कानूनी बाधा या रोक अथवा ऐसे किन्हीं कारणों से जो कि द्वितीय पक्ष के वश में वो सामर्थ्य के बाहर हो (जिसमें मटेरियल की कीमत में वृद्धि या अनुपलब्धता इत्यादि सम्मिलित नहीं माना जावेगा) के कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय में न पूरा हो पावे तो उस सूरत में पक्षकारों के आपसी सहमति से समय सीमा बढ़ाया जावेगा।
4. यह कि दौरान निर्माण यदि किन्हीं कारणों से कोई दुर्घटना इत्यादि होगा तो उसकी एकमात्र जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी और इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की नहीं रहेगी।
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा एक लिफ्ट बेसमेण्ट पार्किंग से सेकेण्ड फ्लोर निर्मित आवासीय मकान तक आने-जाने के लिए तथा एक स्केलेटर लोवर ग्राउण्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर निर्मित होने वाले व्यावसायिक

स्वीकारा देनी करने

K. M. Chauhan



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365231

दुकानात/आफिस तक के आने-जाने के लिए अपने धन से लगवाया जावेगा।

6. यह कि आपसी सहमति से यह तय हुआ है कि द्वितीय पक्ष जब तक सेकेण्ड फ्लोर पर प्रथम पक्ष के आवास के लिए आवासीय मकान का निर्माण करवाकर उसके प्रथम पक्ष को हस्तगत नहीं कर देंगे तब तक इस विलेख के निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष मु० 37,000/- (सैंतीस हजार रूपया) माहवार-प्रथम पक्ष को अदा करते रहने के जिम्मेदार होंगे। जिसे द्वितीय पक्ष माहें ब.माह प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रथम पक्ष को अदायगी के प्राप्ति की रसीद प्राप्त करके अदा करते रहेंगे।
7. यह कि यह तय पाया है कि सेकेण्ड फ्लोर पर द्वितीय पक्ष द्वारा आवासीय मकान के पूर्ण सुविधायुक्त फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बिजली वायरिंग, कलरिंग इत्यादि सहित निर्माण पूरा करवा लेने की इतला जरिये पंजीकृत डाक द्वारा प्रथम पक्ष को दे दिया जावेगा तथा सूचना के प्राप्त होने की तिथि से अन्दर माह प्रथम पक्ष द्वारा इसका कब्जा ले लेना जरूरी होगा। इस आवासीय मकान जो द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तर 12 में उल्लिखित तरीके पर द्वितीय पक्ष

सहमति देना कर्तव्य

K. Chavhan



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365232

द्वारा निर्माण कराया जावेगा के क्षेत्रफल का आपसी सहमति से समायोजन करके अतिरिक्त क्षेत्रफल द्वितीय पक्ष को लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, व फर्स्ट फ्लोर एवं सेकेंड फ्लोर के निर्माण के 40 प्रतिशत के आनुपातिक अंश का मिलेगा को उसी अनुसार बढ़ाकर प्रस्तर 8 में उल्लिखित नक्शा रंग हरा के हिस्सा में दर्शित किया गया है।

8. यह कि लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर पर निर्मित होने वाले व्यवसायिक दुकानात/आफिस एवं सेकेंड फ्लोर इत्यादि के निर्माण पूरा हो जाने पर कामनयूज की जगह पर दोनों का बराबर-बराबर अधिकार होगा। शेष व्यवसायिक निर्माण के 40 प्रतिशत (चालीस प्रतिशत) के तनहा मालिक द्वितीय पक्ष अपने द्वारा लगाये गये धन के प्रतिफल में होंगे तथा 60 प्रतिशत (सैंठ प्रतिशत) के शेष निर्माण को तनहा मालिक के प्रथम पक्ष कायम रहेगी। आपसी सहमति से यह तय हुआ है कि निर्माण होने के उपरान्त जिस 40 प्रतिशत (चालिस प्रतिशत) बिल्डिंग में लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर, व फर्स्ट फ्लोर के तनहा मालिक द्वितीय पक्ष होंगे उसे संलग्न नक्शा में बरंग हरा से दर्शित किया जा रहा है तथा जिस

द्वारा निर्माण कराया जावेगा

K. M. Choudhary



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365233

60 प्रतिशत (साठ प्रतिशत) बिल्डिंग में लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर तथा सम्पूर्ण द्वितीय तल आवासीय निर्माण के तनहा मालिक प्रथम पक्ष कायम रह जावेंगी। उसे संलग्न नक्शा में रंग लाल तथा से दर्शित किया गया है।

9. यह कि द्वितीय पक्ष को अपने 40 प्रतिशत (चालिस प्रतिशत) बिल्डिंग जो संलग्न नक्शा बरंग में हरा से दर्शित किया जा रहा है को पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त रहेगा और द्वितीय पक्ष को अपने इस स्वामित्व के बिल्डिंग को प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित करने किराया पर उठाने एवं स्वयं के निजी अध्यासन में बतौर मालिक के रखने, का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहेगा और प्रथम पक्ष को इस अंश बिल्डिंग में बेसमेन्ट लोवर ग्राण्ड फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से संलग्न नक्शा में बरंग हरा से दर्शित किया जा रहा है के स्वामित्व व कब्जा से कोई वास्ता या सरोकार नहीं रह जायेगा।
10. यह कि इस प्रकार प्रथम पक्ष को अपने 60 प्रतिशत (साठ प्रतिशत) बिल्डिंग जो संलग्न नक्शा में बरंग लाल से दर्शित किया जा रहा है कि पूर्ण मालिक कायम रहेगा और प्रथम पक्ष को अपने तनहा स्वामित्व के

सहिल देवी

K. Chavhan



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365234

कायम बिल्डिंग को प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित करने किराये पर उठाने अथवा स्वयं के अध्यासन बतौर स्वामी के रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहेगा। द्वितीय पक्ष को इस अंश बिल्डिंग जिसे संलग्न नक्शा में बरंग लाल से दर्शित किया गया है के स्वामित्व व कब्जा से कोई वास्ता व सरोकार नहीं रह जायेगा।

11. यह कि तय हुआ है कि जो एफ0ए0आर0 द्वितीय पक्ष द्वारा खरीदा जायेगा और उस पर निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा अपने धन से कराया जावेगा के 45 प्रतिशत (पैंतालीस प्रतिशत) बिल्डिंग की मालिक प्रथम पक्ष होंगी तथा 55 प्रतिशत बिल्डिंग के मालिक द्वितीय पक्ष हो जायेगा। इसका निर्धारण पक्षकारान आपसी सहमति से कर लेंगे कि किस 45 प्रतिशत अंश बिल्डिंग के मालिक प्रथम पक्ष रहेंगी और किस 55 प्रतिशत बिल्डिंग के मालिक द्वितीय पक्ष रहेंगे।
12. यह कि स्पष्ट तौर पर तय पाया है कि द्वितीय पक्ष द्वारा सेकेंड फ्लोर पर जो प्रथम पक्ष के लिए आवासीय मकान के लिए निर्माण करवाया जाना है, में तीन फ्लैटों का निर्माण होगा और प्रत्येक फ्लैट में तीन बेड रूम, प्रत्येक

सूक्ष्म देनी फ्लैट

K. Chandra

300 Reg. No. 20... Date...
 Jay Prakash Stamp Vender
 Licence No 46
 25252 Registry Office Collectors
 Gwalior

15/07/2016 00:33

[Handwritten signature]

14039

विक्रय अनुबंध विवेक

36,106,000.00 20,000.00 120 20,120.00 50

पतिवत् मतिवत् अविन धरराजि श्रीम गिरीश शक्ति व श्री शुक वेत कुटी की संख्या
 श्री पूर्णवती विद्यावरन चौधरी
 पुत्र श्री विद्यावरन चौधरी

व्यवसाय व्यापार
 निवासी स्थानी शर्मा कृपा चाल पाण्डेय कल्याणक टाकुर बिलेज मुम्बई
 अस्थायी वा उक्त
 ये सब केवल इस कर्तव्य में दिनांक 15/7/2016 समय 4:37PM
 वने विवक्षित हेतु पेश किया।



राजद्वीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री 0पी0त्रिक0प्रभारी
 उप निबंधक द्वितीय
 गोरखपुर

15/7/2016

निष्पादन संगठन वाद करने से सम्बन्धित बातचीत से प्राप्त धरराजि अ कल्याणक टाकुर

विवेक

वेत

श्रीमती सुशीला देवी पाण्डेय
 पत्नी श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय पुत्री विष्णु पाण्डेय
 पेशा गृहिणी
 निवासी गोरखपुरा शहर गौ0

[Handwritten signature]

श्री पूर्णवती विद्यावरन चौधरी
 पुत्र श्री विद्यावरन चौधरी
 पेशा व्यापार
 निवासी गणेश कृपा चाल पाण्डेय कल्याणक टाकुर
 बिलेज मुम्बई



मे निष्पादन मीक्षण किया।

दिनांक 15/7/2016 द्विप्रेन्द्र नाथ शुक्ल
 श्रीकृष्ण नाथ शुक्ल

[Handwritten signature]

पेशा व्यापार

निवासी गोरखपुरा शहर गौ0

व अकचल अहमद
 बरीसुल्तान

[Handwritten signature]

पेशा अन्य

निवासी कोलही बाजार तह0 शहर जि0 महाराजगंज

व श्री।

पक्षधर अर शर्मा के निवेदन अर्पित निष्पादन के लिये गये है।

व्यवसाय - मोटर वाहन की व सेवा कार्य - अकार कार्य व अंग वाहन
 देण 400 श्रीक0

राजद्वीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री 0पी0त्रिक0प्रभारी
 उप निबंधक द्वितीय
 गोरखपुर

15/7/2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365236

- और उसके सम्बन्ध में निर्धारित नियमों का अनुपालन करना सभी अध्यासियों अन्तरियों या स्वामियों द्वारा किया जाना जरूरी होगा। बेसमेण्ट पार्किंग से जो भी आय होगा उसमें भी प्रथम पक्ष 60 प्रतिशत और द्वितीय पक्ष 40 प्रतिशत के भागीदारी होंगे।
16. यह कि सेक्रेण्ड फ्लोर पर निर्मित कराई गई आवासीय फ्लैट की तनहा मालिक प्रथम पक्ष कायम रहेंगी तथा सम्पूर्ण छत की भी मालिक प्रथम पक्ष ही कायम रहेंगी।
 17. यह कि इस खिलेख के निष्पादित व पंजीकृत कराने में लगने वाले समस्त स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण फीस व अन्य खर्चों को वहन करके की एकमात्र जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
 18. यह कि जी०डी०ए० द्वारा बेसमेण्ट, लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम फ्लोर, द्वितीय फ्लोर, पास नक्शे के अनुसार ही निर्माण द्वितीय पक्ष बनायेगा। अन्यथा उसकी पूरी जिम्मेदारी द्वितीय की होगी।
 19. यह कि भूमि हस्ब तफसील व चौहददी जैल सेगमेण्ट रोड हनुमान मंदिर से बेतियाहाता चौराहा पर स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 11808 वर्ग फीट

सुश्री देवी कानेर्य

K. N. Chavhan

18/07/2016 (01) 329
Jay Prakash Steno Vender
Licence No. 46
Registry Office Collector
Gandhinagar

विक्रेता

Registration No.: 7553

Year: 2016

Book No.: 1

0101 सुसीला देवी पाण्डेय

सीकुरा पाण्डेय कुत्री विद्युत पाण्डेय

वेदिकमठवा राडर गेट

दुर्गिनी

सुसीला देवी पाण्डेय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365245

यानि 1097.40 वर्ग मीटर है, जो पूर्णतया खुली भूमि है जिस पर निर्माण नहीं है। भूमि नगर निगम व विकास प्राधिकरण के अन्दर है इसकी सरकारी मालियत निर्धारित सर्किल दर मु० 36000/- रूपया प्रति वर्गमीटर तथा संकीर्ण रेट में दिया गया प्राविधान के अनुसार कुल मालियत मु० 3,61,06,000/- है। जिस पर स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा अदा किया जा रहा है। इस प्रकार से पक्षकारों ने अपनी-अपनी स्वेच्छा व स्वस्थ बुद्धि से बिली किसी प्रकार के इस बिल्डर एग्रीमेन्ट को निष्पादित कर दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

खेसरा नं० 17 क्षेत्रफल 11808 वर्ग फीट यानि 1097.40 वर्ग मीटर स्थित राजस्व ग्राम मिर्जापुर हाता बेतिया, परगना-हवेली, तहसील-सदर जिला व शहर-गोरखपुर जिसे संलग्न नक्शा में दर्शित किया जा रहा है तथा चौहद्दी निम्नलिखित है-

पूरब - सरकारी रास्ता हनुमान मंदिर से बेतियाहाता चौराहा
पश्चिम- मकान केशव प्रसाद शर्मा

हस्ताक्षर
12/11/2022

F. N. Chavhan
[Signature]

MS... Jay Prakash Steno Vendor
Licence No. 48
State Registry Office Calicut
Kerala

18/07/2016 (M3222)

[Handwritten signature]

केता

Registration No. : 7653

Year : 2016

Book No. : 1

0201 पूर्वप्राची विद्यालय चीवरी
विद्यालय चीवरी

असेट मूल्या २०१६ प्रादेशिक न्यायालय कक्षा त्रिसेल मुंबई
महाराष्ट्र

[Handwritten signature: P. Chavathi]



[Faint handwritten scribble]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365238

उत्तर- मकान कैलाश पति मिश्रा
 दक्षिण- जमीन पीयूष कुमार पाण्डेय
 सश्री. रमा देवी पाण्डेय

F. m. Chavhan

गेट-पुष्प संख्या 1594
 संख्या 4 के अर्थ में 'मिथ्या' के कारण नं० 27 के
 गवाह: सही हैं

1. Dhirendra Nath Dubey
 80 Kashiwanagar Subca.
 C/27/453, Shikhar Niket
 Behalala

2. Anand Lal Sharma
 51-01/11/11/11/11/11
 0/0/0 के लुट्टीवांसल

दिनांक: 15.07.2018

[Signature]
 प्रारूपतैयारकर्ता:
 वेद प्रकाश केसरवानी
 एडवोकेट
 दीवानी कचहरी, गोरखपुर

Joy Prakash Stamp Vendor
Licence No. 16
State Registry Office, Calicut
Kerala

15/01/2016

[Handwritten signature]

गवाह

Registration No.: 7653

Year: 2016

Book No.: 1

W1 दिनेश्वर नाथ दुपला
श्रीकृष्ण नाथ दुपला
वेरिकावला गहर पो
नाथार


[Handwritten signature]



W2 अजयनाथ अजयनाथ
नसीरुल्लाह
बोवडी नाथार राहो सहर जिरी महाराष्ट्र
अना


[Handwritten signature]







सुरेशभा देवी पाडेय


BASEMENT FLOOR PLAN



कुशीला देवी वाजेम

LOWER GROUND FLOOR

-  BUILDER
-  LANDLORD






V. M. Chavhan

सुधारित देखी जाणे



GROUND FLOOR PLAN




-  BUILDER
-  LANDLORD




सुरीला देवी फाउन्डेशन
FIRST FLOOR PLAN

 BUILDER
 LANDLORD





LANDLORD




हजारी लोदी की पन्डेप

SECOND FLOOR PLAN

P. M. Dahiya

-  BUILDER
-  LANDLORD




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 365239

नवरा नजरी

वाका मौजा मिर्जापुर हाता बेतिया परगना-हवेली, तफसील सदर, जिला व
शहर-गोरखपुर।

खेसरा नं० - 17, क्षेत्रफल - 1097.40 वर्ग मीटर



मुशलिमा देवी कोठेय

[Handwritten Signature]



15/07/2016 Date
Joy Prakash Temp Vardhi
License no 16
Near Registry Office Colliery
Goregaon

15/07/2016 11:30 AM



आज दिनांक 15/07/2016 को
बही सं 1 दिनांक 12487
पृष्ठ सं 173 से 222 पर क्रमांक 7653
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार प्रधिकार के अन्तर्गत


वीपीओ/प्रिपाओ प्रभारी
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
15/7/2016

